संख्या-35/2025/384/सैंतीस-2-2025-1(1)/2014

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-05 मार्च, 2025

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83 के अधीन पशु रोग नियंत्रण योजना (60 प्रति0के0पो0) के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से निर्गत वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-405/सा.-1/एक्स-120(4)/एस्कैड-एससीपी/2024-25, दिनांक-28.02.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83 के अधीन पशु रोग नियंत्रण योजनान्तर्गत राज्यांश के लेखाशीर्षक में अवशेष धनराशि रू0-916.87 लाख (रूपये नौ करोड़ सोलह लाख सत्तासी हजार मात्र) का पुनर्विनियोग लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-पशु रोग नियंत्रण योजना (के.60/रा.40-के.+रा.) के विभिन्न मानक मदों में किये जाने की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-33/2025/149/सैंतीस-2-2025-1(1)/2014, दिनांक-27.02.2025 द्वारा निर्गत की गयी है। उक्तानुसार निर्गत वित्तीय स्वीकृति त्रुटिपूर्ण होने के कारण सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या-33/2025/149/सैंतीस-2-2025-1(1)/2014, दिनांक-27.02.2025 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-35/2025/384(1)/सैंतीस-2-2025-1(1)/2014, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
7. कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।